



भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय जल आयोग

Central Water Commission

सिक्किम अन्वेषण मंडल

Sikkim Investigation Division

तादोंग, गान्तोक (सिक्किम)

Tadong, Gangtok (Sikkim)-737 102

Telefax : (03592)

271059

231887

Email:

sidgangtok_cwc@

yahoo.in



संख्या-सि.अ.मं./मुख्यालय- 10/2011-12/ 3017-21

दिनांक: 27.12.2011

कोटेशन आमंत्रण सूचना (Notice Inviting Quotation)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सरकारी अनुमोदित फर्मों से निम्नलिखित सामाग्रियों की आपूर्ति हेतु नीचे दिए गए नियम व शर्तों पर दिनांक- 16.01.2012 के अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबंद "कोटेशन"(दरें) आमंत्रित की जाती हैं तथा कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएगी:-


क्रम सं०	सामाग्री का विवरण	मात्रा	मूल्य (रूपये में)
1	HP LaserJet M1536dnf MFP Print, Copy, Scan, Fax, Network-5-in-1 Printer	01	
2	Toner of the above HP LaserJet M1536dnf MFP Printer (CE 278A) in addition to the Toner provided with Printer	01	

नियम एवं शर्तें :-

1. दरें आपूर्ति स्थल यथा: अधिशासी अभियंता का कार्यालय, सिक्किम अन्वेषण मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, तादोंग, गान्तोक (सिक्किम) -737102 पर सामाग्रियों की आपूर्ति में होने वाले सभी प्रकार के प्रभार जैसे; पैकिंग, किराया, बीमा (यदि कोई हो) को सम्मिलित करते हुए उद्धरित (Quote) की जानी होगी ।
2. उद्धरित दरें कोटेशन खुलने की तिथि से 60 दिनों तक वैध होंगी ।
3. दरों का उल्लेख शब्द तथा अंक दोनों में किया जाना होगा ।
4. उद्धरित दरें सभी करों से युक्त होनी चाहिए ।
5. सामाग्रियों की अंकित मात्रा आपूर्ति आदेश के वक्त घट या बढ़ सकती है ।
6. इसके लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । भुगतान भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित चेक/ ड्राफ्ट द्वारा सामानों की आपूर्ति संतुष्टीजनक एवं सही हालत में करने तथा इस संबंध में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने के पश्चात किया जाएगा ।

अगले पृष्ठ पर जारी....

7. कोटेशन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
8. सामाग्री का गारंटी / वारंटी कार्ड आपूर्ति के वक्त डिलर के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना होगा ।
9. टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र एवं निर्माता कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकृत विक्रेता संबंधी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा ।
10. कोटेशन के साथ प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा ब्रोशर / पम्फलेट आदि मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा ।
11. कोटेशन निहित लिफाफे पर मोटे अक्षरों में **NIQ** संख्या तथा खोलने की तारीख अंकित होनी चाहिए ।



(राजेश कुमार)

अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर दर्शाने हेतु:-

1. अधीक्षण अभियंता (सम०), तिस्ता बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग, सिलिगुडी ।
2. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण परिमण्डल, केंद्रीय जल आयोग, गंगटोक ।
3. निदेशक, सॉफ्टवेयर प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, कमरा संख्या 628 (द०), सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066 को केंद्रीय जल आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ । इसे आपके ई-मेल smdte@nic.in पर भी भेज दिया गया है ।
4. लेखा शाखा, सिक्किम अन्वेषण मण्डल, केंद्रीय जल आयोग, गंगटोक ।
5. सूचना पट्ट, सिक्किम अन्वेषण मंडल, के.ज.आ., गान्तोक ।